बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

संचिका सं0–04 / STA-P3-249/2014,परि0- पटना, दिनांक-

वाहन स्वामी श्रीमती भारती देवी के वाहन संख्या–BR-01PE-6391 के पक्ष में अन्तर्राज्यी मार्ग पटना से रांची पर राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा एक स्थायी परमिट संख्या– 03/2015(JH) निर्गत किया गया था। उक्त वाहन के रांची से पटना मार्ग पर परिचालन के दौरान परिवहन विभाग एवं वाणिज्य--कर विभाग के पदाधिकारी द्वारा वाहन में अवैध रूप से समान (औषधि, इलेक्ट्रानिक आदि) पकड़ा गया एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध औषधि निरीक्षक, पटना द्वारा गाँधी मैदान, पटना थाना में कांड संख्या–182, दिनांक–12.05.2018 दर्ज किया गया।

उक्त के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने पत्रांक–2033, दिनांक–11.06.2018 द्वारा लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत अनुबंधित वाहन स्वामी श्रीमती भारती देवी के वाहन संख्या–BR-01PE-6391 का परिचालन निलंबित करते हुए एकरारनामा रद्द करने हेतु नोटिस किए जाने की सूचना इस विभाग को दी गयी। पुनः निगम ने पत्रांक–2207, दिनांक–26.06.2018 द्वारा वाहन स्वामी का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने के कारण पटना से रांची मार्ग पर उक्त वाहन का एकरारनामा रद्द करते हुए Performance Guarantee की राशि जब्त करने की सूचना दी गयी।

उपर्युक्त निगम से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार से निर्गत स्थायी परमिट संख्या–03/2015(JH) से आवृत उक्त वाहन द्वारा परमिट की शर्त की कंडिका–43 का उल्लंघन करने के कारण वाहन स्वामी से स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक–6288, दिनांक–28.09.2018 द्वारा निदेश दिया गया। उपर्युक्त विभागीय निदेश के आलोक में वाहन स्वामी द्वारा विभाग को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरान्त समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए वाहन स्वामी को एक अंतिम मौका देने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक–631, दिनांक–19.01.2019 द्वारा वाहन स्वामी को दिनांक–22.01.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया।

दिनांक–22.01.2019 को वाहन स्वामी के प्रतिनिधि राज्य परिवहन आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए। जिसमें वाहन स्वामी के प्रतिनिधि से पूछा गया कि राज्य परिवहन प्राधिकार से पटना से रांची मार्ग पर वाहन संख्या–BR-01PE-6391 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट संख्या– 03/2015(JH) के अतिरिक्त इसी वाहन को निगम से किस आधार पर एकरारनामा किया गया? चुंकि वाहन स्वामी द्वारा प्राधिकार को धोखे में रख कर एक ही वाहन पर प्राधिकार से भी परमिट निर्गत कराया गया और निगम से एकरारनामा किया गया।

उक्त पृच्छा के आलोक में वाहन स्वामी के प्रतिनिधि ने यह स्वीकार किया कि उक्त वाहन का एकरारनामा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक से विदित होता है कि वाहन स्वामी श्रीमती भारती देवी द्वारा परमिट की शर्त की कंडिका–43 का उल्लंघन किया गया।

अतः परमिट की शर्त की कंडिका–43 का उल्लंघन करने के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 (क) एवं (ख) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती भारती देवी के वाहन संख्या–BR-01PE-6391 के पक्ष में अन्तर्राज्यीय मार्ग पटना से रांची पर राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा निर्गत स्थायी परमिट संख्या–03/2015(JH) को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–04 / STA-P3-249/2014,परि0- पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्रीमती भारती देवी, पति– स्व0 अशोक कुमार यादव, पता– ग्राम–भवर पोखर, पो0–बांकीपुर, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना, पिनकोड–800004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–04 / STA-P3-249/2014,परि0- 3297 पटना, दिनांक- 9/5/19

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड, पी0पी0एफ, बिल्डिंग, धुर्वा, रांची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित ।

9/5/19

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

Phone No.: 0612-2547446

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

संचिका सं0–04 / STA-P3-249/2014,परि0- **पटना, दिनांक-**

वाहन स्वामी श्रीमती भारती देवी के वाहन संख्या–BR-01PE-6391 के पक्ष में अन्तर्राज्यी मार्ग पटना से रांची पर राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा एक स्थायी परमिट संख्या– 03/2015(JH) निर्गत किया गया था । उक्त वाहन के रांची से पटना मार्ग पर परिचालन के दौरान परिवहन विभाग एवं वाणिज्य–कर विभाग के पदाधिकारी द्वारा वाहन में अवैध रूप से समान (औषधि, इलेक्ट्रानिक आदि) पकड़ा गया एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध औषधि निरीक्षक, पटना द्वारा गाँधी मैदान, पटना थाना में कांड संख्या–182, दिनांक–12.05.2018 दर्ज किया गया ।

उक्त के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने पत्रांक–2033, दिनांक–11.06.2018 द्वारा लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत अनुबंधित वाहन स्वामी श्रीमती भारती देवी के वाहन संख्या–BR-01PE-6391 का परिचालन निलंबित करते हुए एकरारनामा रद्द करने हेतु नोटिस किए जाने की सूचना इस विभाग को दी गयी । पुनः निगम ने पत्रांक–2207, दिनांक–26.06.2018 द्वारा वाहन स्वामी का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने के कारण पटना से रांची मार्ग पर उक्त वाहन का एकरारनामा रद्द करते हुए Performance Guarantee की राशि जब्त करने की सूचना दी गयी ।

उपर्युक्त निगम से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार से निर्गत स्थायी परमिट संख्या– 03/2015(JH) से आवृत उक्त वाहन द्वारा परमिट की शर्त की कंडिका–43 का उल्लंघन करने के कारण वाहन स्वामी से स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक–6288, दिनांक–28.09.2018 द्वारा निदेश दिया गया । उपर्युक्त विभागीय निदेश के आलोक में वाहन स्वामी द्वारा विभाग को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरान्त समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए वाहन स्वामी को एक अंतिम मौका देने का निर्णय लिया गया । विभागीय पत्रांक–631, दिनांक–19.01.2019 द्वारा वाहन स्वामी को दिनांक–22.01.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया ।

दिनांक–22.01.2019 को वाहन स्वामी के प्रतिनिधि राज्य परिवहन आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए । जिसमें वाहन स्वामी के प्रतिनिधि से पूछा गया कि राज्य परिवहन प्राधिकार से पटना से रांची मार्ग पर वाहन संख्या–BR-01PE-6391 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट संख्या– 03/2015(JH) के अतिरिक्त इसी वाहन को निगम से किस आधार पर एकरारनामा किया गया ? चुंकि वाहन स्वामी द्वारा प्राधिकार को धोखे में रख कर एक ही वाहन पर प्राधिकार से भी परमिट निर्गत कराया गया और निगम से एकरारनामा किया गया ।

उक्त पृच्छा के आलोक में वाहन स्वामी के प्रतिनिधि ने यह स्वीकार किया कि उक्त वाहन का एकरारनामा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से किया गया ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक से विदित होता है कि वाहन स्वामी श्रीमती भारती देवी द्वारा परमिट की शर्त की कंडिका–43 का उल्लंघन किया गया ।

अतः परमिट की शर्त की कंडिका–43 का उल्लंघन करने के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 (क) एवं (ख) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती भारती देवी के वाहन संख्या–BR-01PE-6391 के पक्ष में अन्तर्राज्यीय मार्ग पटना से रांची पर राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा निर्गत स्थायी परमिट संख्या– 03/2015(JH) को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–**04 / STA-P3-249/2014,परि0-** **पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– श्रीमती भारती देवी, पति– स्व0 अशोक कुमार यादव, पता– ग्राम–भवर पोखर, पो0–बांकीपुर, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना, पिनकोड–800004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–04 / STA-P3-249/2014,परि0- पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड, पी0पी0एफ, बिल्डिंग, धुर्वा, रांची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–04 / STA-P3-249/2014,परि0- 3297 पटना, दिनांक– 9/5/17

प्रतिलिपिः– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना, नालन्दा बिहार / मोटरयान निरीक्षक, पटना, नालन्दा / प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना, नालन्दा / आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/5/17
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

Phone No.: 0612-2547448, Fax: 0612-2546212, Email: stcbihar@gmail.com